



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था  
(भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)  
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

यह प्रपत्र उन कर्मचारियों द्वारा भरा जाना है जो नई कर प्रणाली में हैं (अनिवार्य नहीं)।

THIS FORM IS TO BE FILLED BY THE EMPLOYEES WHO ARE IN **NEW TAX REGIME** (NOT MANDATORY)

कर्मचारी का विवरण / PARTICULARS OF THE EMPLOYEE:

नाम/Name	
पदनाम/Designation	
कार्यालय /Place of Work	
पैन/PAN	
क.प.सं./EMPID NO.	
कंप्यूटर कोड संख्या /C.C.NO.	
दूरभाष/मोबाइल नं./ Telephone / Mobile No	
ई-मेल आईडी / E-mail ID.	
आवासीय पता/ Residential Address	
आधार संख्या /Aadhar No	

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कर प्रणाली के लिए आयकर स्तर

Income Tax slabs as per NEW TAX REGIME for Financial Year 2023-24

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति Individuals below 60 years	आयकर की दर Rate of Income Tax
Up to ₹ 3,00,000	NIL
₹ 3,00,001 to ₹ 6,00,000	5%
₹ 6,00,001 to ₹ 9,00,000	10%
₹ 9,00,001 to ₹ 12,00,000	15%
₹ 12,00,001 to ₹ 15,00,000	20%
Above ₹ 15,00,000	30%

आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% देय है।  
Health and Education Cess @ 4% is chargeable on income tax.  
₹ 7 लाख तक की आय पर धारा 87-ए के तहत ₹ 25,000/- तक की कर छूट उपलब्ध है। ₹ 7 लाख से अधिक आय के लिए कुल आय और ₹ 7 लाख के बीच अंतर का आधिक्य में कर राशि की छूट की अनुमति है।  
Tax rebate of up to ₹ 25,000/- available under Section 87-A for income up to ₹ 7 lakhs. Tax rebate of the amount of tax in excess of the difference between total income and ₹ 7 lakhs is allowed for income more than ₹ 7 lakhs.

नई कर प्रणाली के तहत, आप निम्नलिखित के लिए कर छूट का दावा कर सकते हैं:

Under New tax regime, you can claim tax exemption for the following:

- 1) दिव्यांग व्यक्ति के मामले में धारा 10(14) के तहत परिवहन भत्ता  
Transport allowances in case of a specially-abled person u/s 10(14)
- 2) किराए पर दी गई संपत्ति पर गृह ऋण पर ब्याज (धारा 24)  
Interest on Home Loan on **let-out property** (Section 24)
- 3) एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती [धारा 80 सीसीडी (2)]  
Deduction for employer's contribution to NPS account [Section 80 CCD (2)]
- 4) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 50,000 रुपये की मानक कटौती लागू  
Standard deduction of ₹ 50,000 applicable for FY 2023-24

फॉर्म: 12-सी (केवल नई कर प्रणाली के लिए)

Form: 12-C (ONLY FOR NEW TAX REGIME)

मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत घटौती के दावे हेतु घोषणा

Declaration for claiming rebate under the head INCOME FROM HOUSE PROPERTY

नाम Name		
पदनाम Designation		
क.प.सं. EMPID NO.		
मकान संपत्ति का पता Address of House Property		
आवासीय स्थिति Residential Status (strike out which are not applicable)	1. किराए पर दिया हुआ /Let Out	
	2. किराये पर दी मानी गई/ Deemed Let Out	

मकान संपत्ति से आय (हानि यदि कोई हो, सहित) का ब्यौरा  
PARTICULARS of Income (including loss, if any) from House Property

सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरें  
ALL THE COLUMNS SHOULD BE MANDATORILY FILLED

धारा 23 के तहत संपत्ति का कुल वार्षिक मूल्य Gross Annual Value of the property u/s 23				
(क/A)	राशि जिस पर संपत्ति यथोचित रूप से किराए पर दी गई है। Amount for which the property might reasonably be let out अथवा / OR नगरपालिका मूल्यांकन या वार्षिक किराया मूल्य Annual Municipal Valuation or Annual lettable value अथवा / OR प्राप्त वास्तविक किराया, जो भी अधिक हो Actual Rent Received, whichever is higher		₹	
(ख/B)	घटाएँ: वर्ष 2023-24 में मकान मालिक द्वारा नगरपालिका करों की वास्तविक भुगतान राशि (स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।) Less: Municipal Taxes actually paid by the owner in the year 2023-24 (self-attested photo copy should be enclosed)		₹	
(ग/C)	संपत्ति का निवल वार्षिक मूल्य/Net Annual Value of the property		₹	
(घ/D)	स्वीकार्य कटौतियाँ Deductions Admissible	(क/a)	मरम्मत और समाहरण प्रभार के लिए निवल वार्षिक मूल्य का 30% (सी) 30% of Net Annual Value (C) For Repairs and Collection charges.	₹
		(ख/b)	उक्त मकान संपत्ति को अर्जित करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रदत्त/दिय ब्याज। (समर्थक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।) Interest paid/payable on the borrowed capital for acquiring said house property (self-attested copies of supporting documents should be attached)	₹
		(क/a) + (ख/b)		₹
(ङ/E)	निवल प्रभार्य आय: मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत (ग - घ) Net Chargeable Income: (C-D) under the head Income from house property		₹	

कर्मचारी का हस्ताक्षर

Signature of the employee : \_\_\_\_\_

दिनांक / Date : \_\_\_\_\_

**सत्यापन प्रमाणपत्र और वचनपत्र**  
**VERIFICATION CERTIFICATE & UNDERTAKING**

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, उसका दिनांक 31/03/2024 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I CERTIFY THAT THE HOUSE PROPERTY FOR WHICH REBATE IS BEING CLAIMED WILL NOT BE TRANSFERRED / DISPOSED OFF TILL 31/03/2024.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I CERTIFY THAT THE ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY ME ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.

नाम/Name	
पदनाम/Designation	
क.प.सं./ EMPID NO.	
कंप्यूटर कोड संख्या/ C.C.NO.	
हस्ताक्षर /Signature	
दिनांक /Date	

टिप्पणियाँ/Notes :

1. उपरोक्त खंड घ(ख) में पूर्व (लेखा) वर्ष जिसमें संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, से पूर्व अवधि के लिए उधार ली गई पूंजी (यदि कोई) पर पूर्व- निर्माण/ पूर्व- ईएमआई ब्याज शामिल है। ये ब्याज धारा 24 के तहत उस वित्तीय वर्ष जिसमें मकान अर्जित या निर्मित किया गया है से शुरू होकर पाँच बराबर किश्तों में काटी जाएगी।

Term D (b) above includes Pre – construction / Pre-EMI Interest on borrowed capital (if any) for the period prior to the previous (accounting) year in which the property has been acquired or constructed. Such interest shall be deducted u/s 24 in five equal installments commencing from the financial year in which the house is acquired or constructed.

2. यदि मकान संपत्ति में कई तल हैं तो इसे कई निवास यूनिटों के रूप में माना जाएगा।  
If a house property consists of many floors, it will be treated as having as many dwelling units.
3. उधार ली गई पूंजी पर ब्याज उधार देने वाले संस्थान से प्राप्त विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों से समर्थित होनी चाहिए, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

Interest on borrowed capital should be supported with duly signed certificates obtained from the lending institution, Provisional certificate should be duly signed by issuing authority.

4. जहाँ संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके संबंधित शेयर स्पष्ट और सुनिश्चित हैं तो मकान संपत्ति से आय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर उनकी संबंधित आय में शामिल किया जाए।

Where property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable then the share of each such person in the income from house property should be included in their respective income.

5. जैसा कि मकान संपत्ति से आय का निर्धारण संबंधित कर्मचारी/कर निर्धारिती से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है, अतः इसकी शुद्धता/ सत्यता के लिए कर्मचारी/कर निर्धारिती पूर्णतया जिम्मेदार है।

The employee / assessee is wholly responsible for its correctness, as far as income from House Property determined on the basis of information furnished by him/her is concerned.